(वाद संख्या–5213/17)

24.10.2019

परिवादी अनुपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला पटना विश्वविद्यालय कैम्पस स्थित ‘‘मिन्टों नेत्रहीन छात्रावास’’ में आवासित नेत्रहीन छात्रों के देखभाल हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदानित एक स्वयंसेवी संस्था, NATIONAL ASSOCIATION FOR THE BLIND, BIHAR के कथित दुर्व्यव्यस्था व उक्त नेत्रहीन छात्रावास में आवासित नेत्रहीन विद्यार्थियों की दयनीय स्थिति से संबंधित है।

उक्त कथित मिन्टों नेत्रहीन छात्रावास में आवासित सरबजीत भाटिया एवं अन्य दिव्यांगों की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली तथा बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग–अलग परिवाद दिया गया जिसकी एक साथ सुनवाई बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा की जा रही है। मिन्टों नेत्रहीन छात्रावास के विद्यार्थियों का अपने परिवाद पत्र में कथन है कि वे लोग वर्तमान में काफी विषम परिस्थिति में रह रहे हैं। उनका यह भी कथन है कि एक स्वयंसेवी संस्था NATIONAL ASSOCIATION FOR THE BLIND, BIHAR द्वारा उनकी देख–रेख की जा रही थी, जिसे सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। उक्त स्वयंसेवी संस्था की संचालिका श्रीमती डॉ0 लिली गुप्ता द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों को अपने पास रखकर छात्रावास में आवासित नेत्रहीन विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है तथा यहां तक कि नेत्रहीन छात्राओं को देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है।

परिवादी के उपरोक्त आशय के परिवाद पर जिला पदाधिकारी, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा इस संबंध में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना को स्थल जाँचकर सुस्पष्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना के निर्देश पर पटना सदर के कार्यपालक दण्डाधिकारी, नीलू पॉल द्वारा स्थल जाँचकर सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना को प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन स्वयंसेवी संस्था की संचालिका डॉ0 लिली गुप्ता द्वारा उक्त छात्रावास का संचालन किया जाता है जो वर्तमान में दिल्ली में रह रही हैं। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि अभी

उस छात्रावास में बीस से पच्चीस विद्यार्थी रह रहे हैं तथा उनका देख–रेख करने वाला कोई नहीं है तथा छात्रावास की भौतिक स्थिति भी काफी दयनीय है। कार्यपालक दण्डाधिकारी का अपने प्रतिवेदन में यहां तक कथन है कि उन्हें एक नेत्रहीन छात्र विद्यानन्द पासवान ने बताया कि डॉ0 लिली गुप्ता के माध्यम से नेत्रहीन छात्राओं को अपमानित किया जाता है एवं गलत काम करने के लिए परेशान किया जाता है तथा उन्हें डराया व धमकाया जाता है।

परिवादी के परिवाद पत्र (पृ0–13–1/प0) तथा (पृ0–24–17/प0) व सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–32–31/प0) की छाया–प्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना से इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की जाय कि जिला प्रशासन द्वारा अपने पदाधिकारी (नीलू पॉल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना सदर) के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन की मांग करें साथ ही साथ प्रसंगाधीन परिवाद पत्र व सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना के प्रतिवेदन (क्रमशः पृ0 13–1/प0 व पृ0 24–17/प0 तथा पृ0 32–31/प0) की प्रति संलग्न कर प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना व कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना से पटना विश्वविद्यालय के कैम्पस स्थित, मिन्टों छात्रावास, के नेत्रहीन छात्रों/छात्राओं के उचित देखभाल हेतु नामित संस्था NATIONAL ASSOCIATION FOR THE BLIND, BIHAR को राज्य सरकार से प्राप्त समस्त अनुदानों तथा उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र की जाँच कराने व वहां आवासित नेत्रहीन छात्रों/छात्राओं के समुचित देख–भाल सुनिश्चित किये जाने के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग को दिनांक–13.02.2020 के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया जाय।

संचिका दिनांक–18.02.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>